10/5/21

10/12/21

29/11/21

वादी स्वयं उपस्थित है एक प्रतिवादी द्वारा प्रकरण को खारीज किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। पत्रावली निर्णय के लिए की गई। वादी स्वयं उपस्थित है निर्णय की प्रकरण के पक्षकारों में सहमति हो चुकी है किसी भी प्रकार का विवाद नहीं रहा है इसलिये प्रकरण को खारीज किये जाने बाबत निर्णय किया गया।

अतः प्रकरण के रफादफा हो जाने के प्रकरण खारीज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ती के कर दी।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)